न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 01 सन 2020

अनवान :–

1. नवरतन पुत्र स्व प्रयागचन्द जाति चाचाण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सीता देवी पत्नी स्व प्रयागचन्द्र जाति चाचाण निवासी नोहर तहसील नोहर ।
3. सुभाष कुमार पुत्र स्व प्रयागचन्द जाति चाचाण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. दया गर्ग पुत्री स्व प्रयागचन्द जाति चाचाण निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. मंजु देवी पुत्री स्व प्रयागचन्द जाति चाचाण निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. सरोज देवी पत्नी स्व सुरेश कुमार जाति चाचाण निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. सचिन पुत्र स्व सुरेश कुमार जाति चाचाण निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. राहूल पुत्र स्व सुरेश कुमार जाति चाचाण निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. कुसुम गर्ग पुत्री स्व सुरेश कुमार जाति चाचाण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ समस्त जरिये मुख्त्यारआम नवरतन चाचाण पुत्र श्री प्रयागचन्द जाति चाचाण निवासी नोहर तहसील नोहर।

प्राथीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता प्रार्थी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/03/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 110 की 36–3/5 हिस्सा भूमि को दिनांक 05.04.2018 को माननीय न्यायालय के द्वारा अराजी राज दर्ज करने के आदेश जारी किये गये।

जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में प्रयागचन्द के वारिसान द्वारा प्रस्तुत करने पर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 05.04. 2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण माननीय न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर पुन सुनवाई की जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किया गया।

न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2018 से प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेख में अराजी राज दर्ज हो गई परन्तु आदेश दिनांक 05.04.2018 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा निरस्त किया जा चुका है इसलिये आदेश दिनांक 05.04.2018 से पूर्व की स्थिति रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 110 की 9.03 बीधा भूमि में 36–3/6 हिस्सा भूमि की रिकार्ड में दिनांक 05.04.2018 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी जरिये पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर जबाब पेश किया की राजस्व रिकार्ड में माननीय न्यायालय के आदेश /निर्णय दिनांक 05.04.2018 की पालना में दर्ज किया गया है जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में होने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2019 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 05.04.2018 को निरस्त किया जा चुका है साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

अप्रार्थी का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 110 की 9.03

बीधा भूमि में प्रार्थीगण के पिता प्रयागचन्द 36–3/6 हिस्सा का खातेदार दर्ज थी माननीय न्यायालय ने दिनांक 05.04.2018 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज वाद भूमि को अराजीराज दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में अराजी राज दर्ज हो गई उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 05.04.2018 की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में करने पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने दिनांक 04.04.2019 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 05.04.2018 को निरस्त किया जा चुका है। इसप्रकार जिसे आदेश से राजस्व रिकार्ड में भूमि अराजीराज दर्ज हुई थी वह निर्णय खारिज किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि की उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 05.04.2018 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करने के आदेश फरमावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की राजस्व रिकार्ड में माननीय न्यायालय के आदेश /निर्णय दिनांक 05.04.2018 की पालना में दर्ज किया गया है जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में होने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2019 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 05.04.2018 को निरस्त किया जा चुका है साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत निर्णयों के अवलोकन अनुसार रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 110 की कुल 9.03 बीधा भूमि में प्रार्थीगण के पिता प्रयागचन्द के नाम 36–3/6 हिस्सा भूमि दर्ज थी जिसके सम्बध में उपखण्ड अधिकारी नोहर ने दिनांक 05.04.2018 को निर्णय पारित किया जाकर रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 110 की कुल 9.03 बीधा भूमि में से 36–3/6 हिस्सा भूमि जो प्रयागचन्द पुत्र जयनारायण के नाम से दर्ज थी को आराजी राज दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे।

न्यायालय के आदेशाों की पालना में भूमिधारी तहसीलदार नोहर ने रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 110 की 36–3/6 हिस्सा भूमि जो प्रयागचन्द के नाम से दर्ज थी को अराजीराज राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी।

उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 05.04.2018 की अपील प्रयागचन्द के वारिसान के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने बाद सुनवाई दिनांक 04.04.2019 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 05.04.2018 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया गया।

राजस्व रिकार्ड में उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 05.04.2018 की पालना में अराजी राज हुई थी को माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 04.04.2019 के द्वारा खारिज कर दिया गया है किन्तु राजस्व रिकार्ड में उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 05.04.2018 की पालना में राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन को प्राथी निरस्त करवाकर दिनांक 05.04.2018 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करवाना चाहता है जिसका प्रार्थीगण अधिकारी भी है क्योकि जिस आदेश से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया था वह आदेश की निरस्त किया जा चुका है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 110 की 9.03 बीधा भूमि में से प्रयागचन्द के हिस्से की 36–3/6 हिस्सा भूमि जिसे उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 05.04.2018 की पालना में अराजीराज दर्ज की गई थी की दिनांक 05.04.2018 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जावे। आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र. उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)